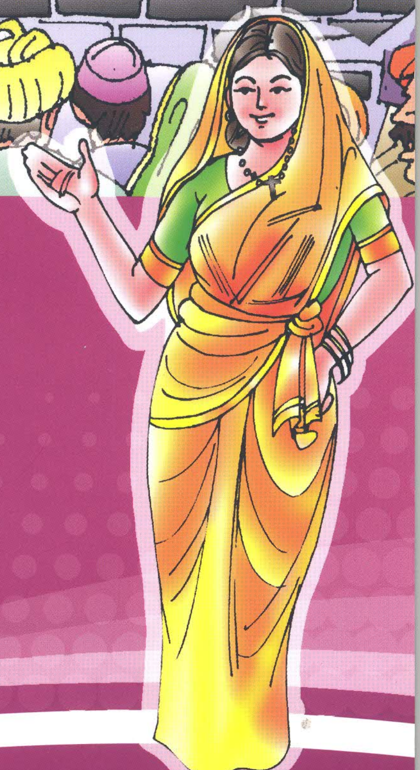

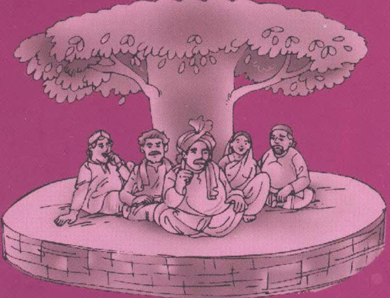

सरकारी तंत्र

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

राष्ट्रीय जन सहयोग
एवं बाल विकास संस्थान

सरकारी तंत्र

पंचायती राज

पंचायत क्या है?

- ❖ भारत में स्थानीय सरकारी प्रणाली को पंचायत कहते हैं।
- ❖ पंचायत का मतलब है, "5 सदस्यों" का समूह।
- ❖ साधारण शब्दों में, पंचायत गांव के वरिष्ठ नागरिकों की सभा है।
- ❖ पंचायत प्रणाली के तीन घटक हैंः– गांव स्तरीय (ग्राम पंचायत), गांवों का झुंड (ब्लाक पंचायत) और जिला स्तरीय (जिला पंचायत)।

पंचायती राज प्रणाली क्या है?

- ❖ ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज सरकार की एक शाखा है जिसमें हर गांव अपनी गतिविधियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है।
- ❖ 1992 के संशोधन अधिनियम में पंचायत को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय दोनों के लिए योजनाएं तैयार करने की शक्तियों और जिम्मेदारियों का प्रावधान है।

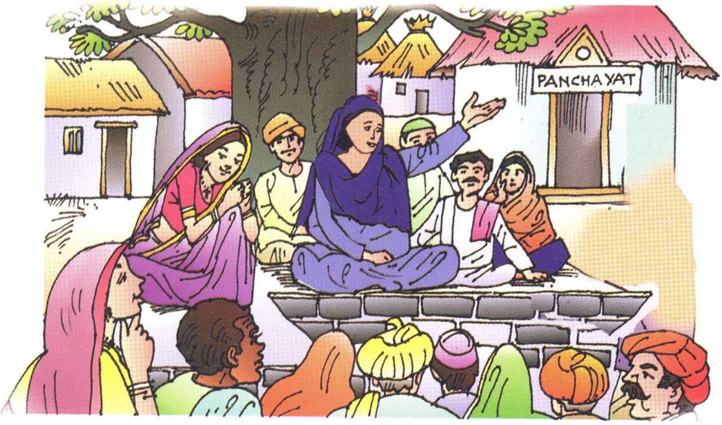

पंचायती राज संस्थान के स्तर

पंचायती राज एक त्रि–स्तरीय प्रणाली है:

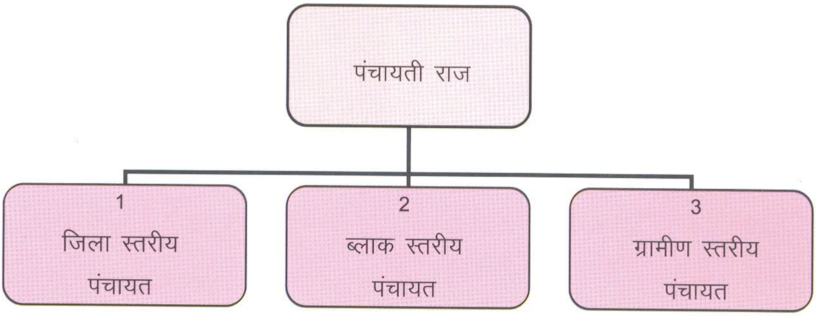

ग्रामीण स्तरीय पंचायत

- यह एक स्थानीय निकाय है जो गांव के कल्याण के लिए काम करती है।
- पंचायती राज, शासन की वह प्रणाली है जिसमें ग्राम पंचायत प्रशासन की बुनियादी इकाई होती है।
- आमतौर पर इसमें सदस्यों की संख्या 7–31 होती है। कभी – कभी समूह बड़े होते हैं, लेकिन 7 से कम सदस्य कभी नहीं होते।

- समिति के मुखिया को सरपंच कहते हैं और प्रत्येक सदस्य को ग्राम पंचायत सदस्य या पंच कहते हैं।
- इस प्रणाली में प्रत्येक ग्रामीण गांव के शासन में अपनी राय दे सकता है।
- निर्णय बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के लिया जाता है।

ब्लॉक स्तरीय पंचायत

- ब्लॉक स्तरीय पंचायत को पंचायत समिति कहा जाता है।
- भारत में पंचायत समिति का स्थानीय सरकारी निकाय में तहसील या तालुक का स्तर है।
- यह समिति तहसील या तालुक के गांवों के लिए काम करती है जिसे समग्र तौर पर विकास खंड कहा जाता है।
- पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के बीच कड़ी का काम करती है।
- समिति 5 साल के लिए चुनी जाती है और यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नेतृत्व में चलाई जाती है।

समिति के मुख्य विभाग हैं: सामान्य प्रशासन, वित्त, जन कार्य, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुधार, सूचना तकनीक और अन्य।

जिला स्तरीय पंचायत

- जिला स्तर पर पंचायती राज प्रणाली को "जिला परिषद" कहते हैं।
- यह जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन को देखती है और इसका कार्यालय जिला मुख्यालय में स्थित होता है।
- यह "जिलाधीश" या "जिला मजिस्ट्रेट" या "उपायुक्त" की अध्यक्षता में कार्य करती है।
- सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष जिला परिषद् के सदस्य होते हैं।
- यह राज्य सरकार और पंचायत समिति के बीच की कड़ी है।

- ❖ जिला स्तरीय पंचायत के मुख्य कार्य–बेहतर बीज की आपूर्ति, स्कूल चलाना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व अस्पताल चलाना, पुल और सड़कें आदि बनाना है।

पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं की भूमिका

- ❖ महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाना एक प्रमुख मुद्दा है।
- ❖ 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 महिलाओं के लिए चयनात्मक पदों के लिए आरक्षण प्रदान करता है।
- ❖ मूल रूप से नई महिला सदस्यों और पंचायत के नवागंतुक अध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय आर्थिक मदद प्रदान करता है।

पारिवारिक सर्वेक्षण और शिकायत निवारण

पारिवारिक सर्वेक्षण क्या है?

पारिवारिक सर्वेक्षण एक बहु–प्रयोजन निरंतर सर्वेक्षण है जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा निम्नलिखित जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जाता है:

- ❖ घर और परिवार की जानकारी
- ❖ आवास अवधि और घरेलू आवास
- ❖ वाहन सहित उपभोक्ता वस्तुओं का स्वामित्व
- ❖ रोजगार
- ❖ शिक्षा

- स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग
- धूम्रपान और शराब पीना
- परिवार की जानकारी जैसे– शादी, सहवास और प्रजनन
- आय
- स्थानान्तरण सहित घर के सदस्यों के बारे में सांख्यिकीय जानकारी

सर्वेक्षण क्यों किया जाता है?

- एकत्र की गई जानकारी सरकारी विभागों और अन्य संगठनों के द्वारा योजना नीति और निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जाती है।
- यह समाज को घरों, परिवारों और लोगों की तस्वीर दर्शाता है।
- पारिवारिक सर्वेक्षण घरों, परिवारों और लोगों में पिछले कुछ वर्षों में आए बदलाव और इसके भावी स्वरूप को दिखाता है।
- यह आवासों में होने वाले परिवर्तन जैसे घर के स्वामित्व में वृद्धि, घरेलू सुविधाओं के साथ घरों में सामान की अनुपातिक वृद्धि– जैसे वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन और घरेलू कम्प्यूटर आदि का सूचक है।

सर्वेक्षण संचालन की प्रक्रिया

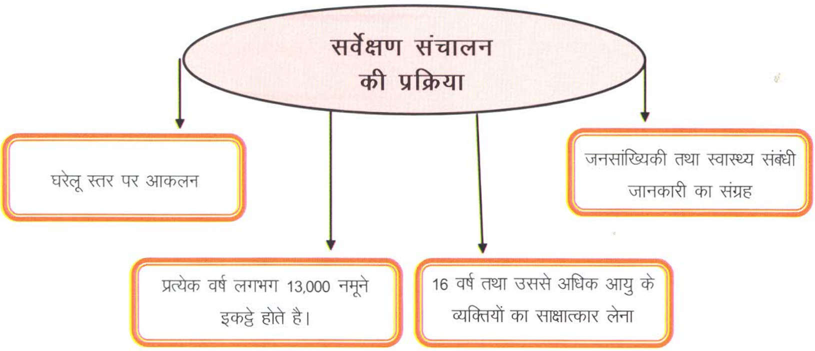

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) क्या है?

- ❖ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण हर पांच वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है। यह राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पृष्ठभूमि विशेषताओं के द्वारा जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण के संकेतों को बताता है।

- ❖ इसमें घरेलू जानकारी एकत्रित की जाती है व 15–49 वर्ष की महिलाओं व 15–54 वर्ष के पुरुषों के व्यक्तिगत साक्षात्कार लिए जाते हैं। इस सर्वेक्षण में ऊंचाई व वजन मापना और एचआईवी व एनीमिया के लिए रक्त परीक्षण भी शामिल हैं।

"गरीबी रेखा से नीचे" सूची क्या है?

- ❖ जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की लागत के आधार पर सरकार निर्धारित करती है कि एक सुखमय जीवन के लिए व्यक्ति को कितने धन की जरुरत है।

- ❖ गरीबी रेखा से नीचे सूची (बीपीएल सूची) में न्यूनतम तय की गई लागत से कम पैसे अर्जित करने वाले लोग आते हैं।

- ❖ एक बीपीएल परिवार का निर्णय 13 मानदंडों जैसे– भूमि क्षेत्र, परिधान, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, साक्षरता की स्थिति, श्रम शक्ति के प्रकार, आजीविका के साधन, बच्चों की स्थिति, ऋणग्रस्तता के प्रकार, प्रवास के कारण आदि के अभाव में प्राप्त अंकों के आधार पर लिया जाता है।

सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं

भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। इनमें से कुछ हैं:

- **इंदिरा आवास योजना** में ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे बीपीएल अनुसूचित जाति/जनजाति (40%), शारीरिक और मानसिक तौर से विकलांग (3%) और गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए मुफ्त आवास उपलब्ध कराया जाता है।

- **अंत्योदय अन्न योजना** 1.5 करोड़ बीपीएल परिवारों को अत्याधिक रियायती दरों पर प्रत्येक परिवार को 35 किलो अनाज प्रदान करती है।
- **अन्नपूर्णा योजना** बीपीएल लोगों को प्रति माह 10 किलो अनाज निःशुल्क प्रदान करती है।

- **स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना** गरीब ग्रामीण व बीपीएल परिवारों को स्थायी आय प्रदान करती है। इस योजना के तहत स्वरोजगार व कौशल विकास के लिए ऋण व अनुदान प्रदान किया जाता है।

- **जवाहर ग्राम समृद्धि योजना** गरीब लोगों को निरंतर रोजगार और अनुपूरक रोजगार के अवसरों की वृद्धि के लिए एक मांग आधारित समुदाय में स्थाई संपत्ति सहित मूलभूत संरचना प्रदान करती है।

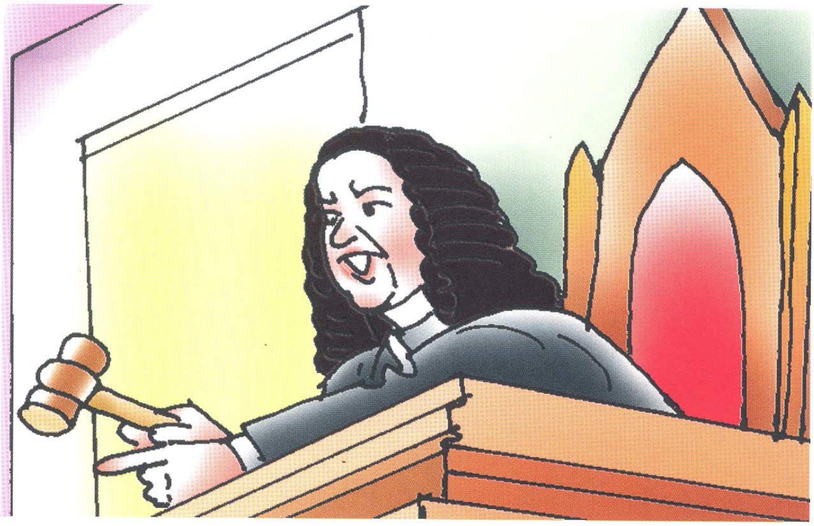

शिकायत निवारण मंच

- जनता की विभिन्न शिकायतों का निवारण सरकार की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है।

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उभरती हुई स्थानीय निकायों के साथ–साथ लोग सरकार पर भी काफी हद तक निर्भर करते हैं।

शिकायत निवारण मंच के उद्देश्य

- सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी ग्रामीण नागरिकों तक बेहतर ढ़ंग से पहुंचाना।

- शिकायत प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करना।

- सरकारी कामकाज और प्रस्ताव में पारदर्शिता को बढ़ाना और बेहतर सेवा प्रदान करना।

शिकायत निवारण तंत्र

- शिकायत निवारण तंत्र किसी भी प्रशासन तंत्र का हिस्सा होता है।
- वास्तव में, संगठन का शिकायत निवारण तंत्र उसकी क्षमता और प्रभावशीलता को मापने के लिए प्रशासन को अपने कार्यों पर प्रतिक्रिया देता है।
- नागरिकों को टोल फ्री टेलीफोन, फील्ड स्टाफ को तुरंत एसएमएस, उच्च अधिकारियों को स्वचालित फैक्स द्वारा शिकायत दर्ज करने व तुरंत सुधार की कारवाई सुनिश्चित की जाती है।
- जानकारी की उपलब्धता, उचित बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं का होना न केवल ग्रामीण आबादी के जीवन में सुधार लाता है बल्कि सरकारी व्यवस्था में लोगों का विश्वास भी बढ़ाता है।

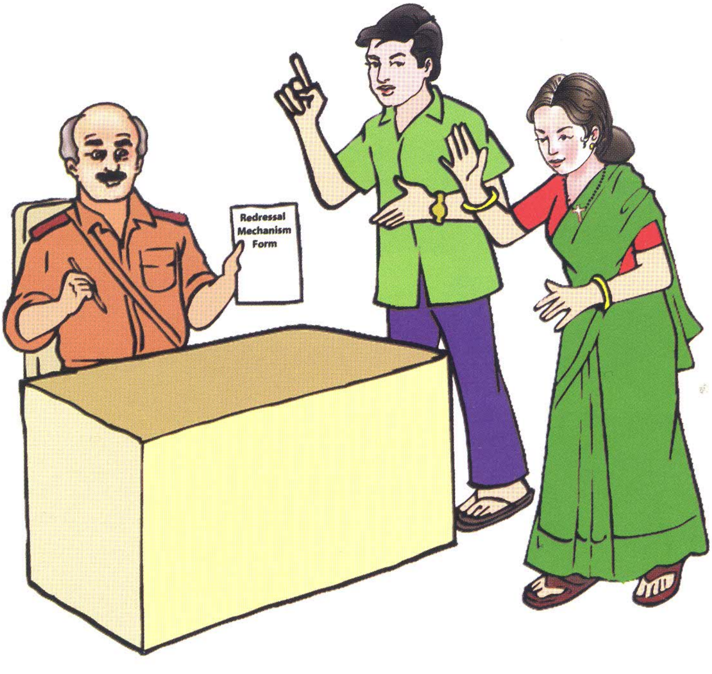

संक्षेप में, तंत्र के पूरे जीवन चक्र में निम्नलिखित घटक हैं–

- विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं को संचालित करना।
- फोन पर या केन्द्र में व्यक्तिगत रुप से नागरिकों की शिकायत दर्ज करना।
- संगठन के द्वारा शिकायत की प्राप्ति और रसीद जारी करना।
- मामले की कारवाई का आकलन करना।
- अग्रेषण और स्थानांतरण, अनुस्मारक और स्पष्टीकरण।
- निवारण प्रक्रियाओं और कार्यों की देख–रेख।
- मामले को बंद करना।
- आंकड़ों का संग्रहण।

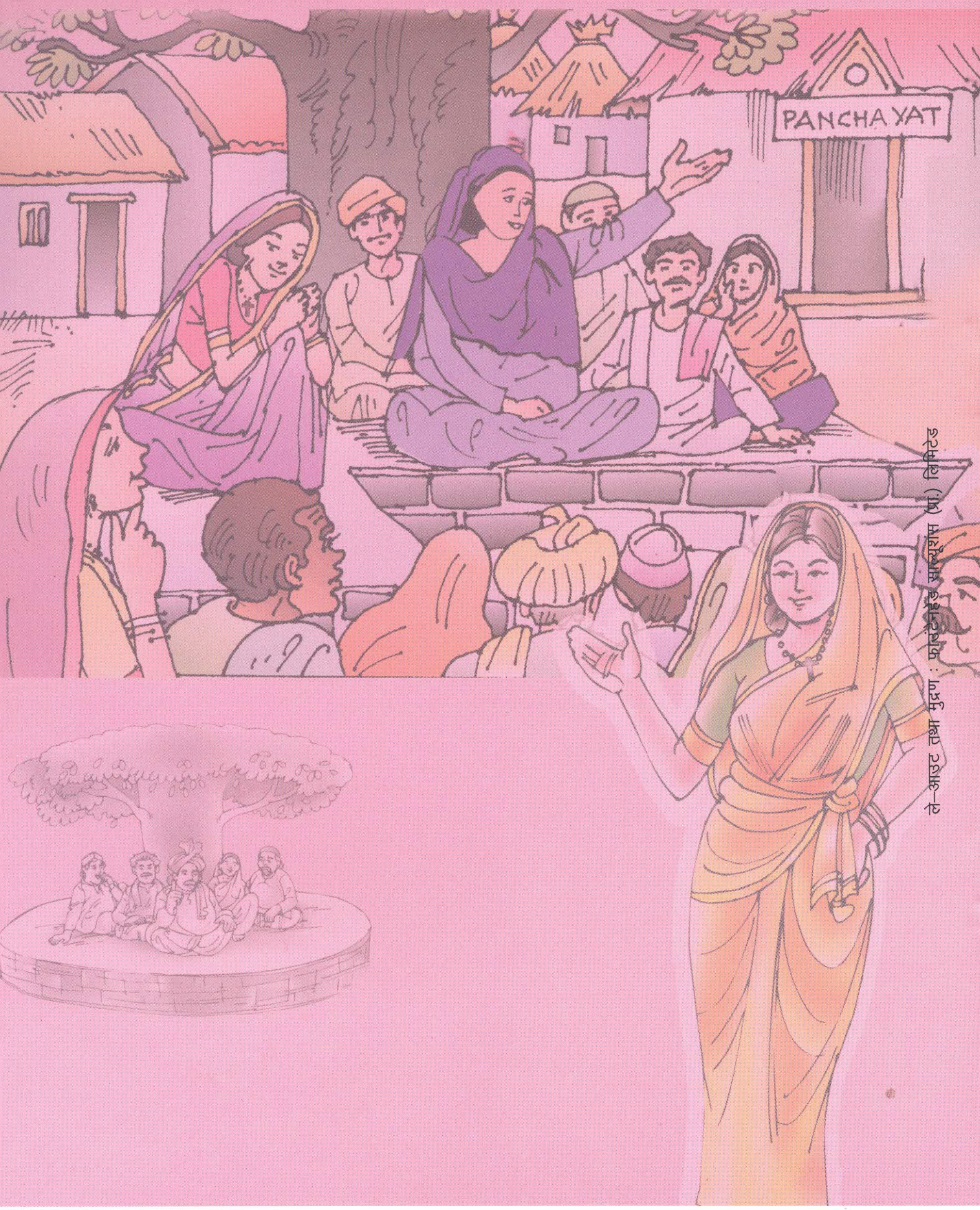

ले–आउट तथा मुद्रण : फाउंटेनहेड साल्यूशंस (प्रा.) लिमिटेड

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय
11 वीं मंजिल, पर्यावरण भवन
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली 110016

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
nipccd

राष्ट्रीय जन सहयोग
एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड)
5, सीरी इंस्टीटयूशनल एरिया, हौज खास
नई दिल्ली–110016